एसआईआर अंतर्गत

नो मैपिंग एवं तथ्यात्मक त्रुटियों का निराकरण करें : डीएम

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 3 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने कहा कि एसआईआर अंतर्गत ऐसे मतदाता जो नो मैपिंग तथा तथ्यात्मक त्रुटियों की सूची में है, उनका निराकरण सुनवाई के माध्यम से किया जायें। नो मैपिंग वाले मतदाताओं से आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेज लिये जाये, इसके अलावा लॉजीकल त्रुटियों में

सुनवाई के संबंध में एईआरओ की बैठक आयोजित

शामिल मतदाताओं का सत्यापन कर त्रुटियों को दूर किया जायें। वे आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) अंतर्गत श्योपुर जिले की दोनो विधानसभा क्षेत्रो में नो मैपिंग एवं लॉजिकल त्रुटियों की सुनवाई एवं निराकरण के लिए नियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन, डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य सहित श्योपुर विधानसभा अंतर्गत अंतर्गत नियुक्त एईआरओ मौजूद रहें। इसके साथ ही विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ अभिषेक मिश्रा एवं एईआरओ वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने कहा कि नो मैपिंग में जिले में लगभग 6 हजार 300 मतदाता है, जिनमें से 2 हजार 700 की सुनवाई हो चुकी है, शेष नो मैपिंग मतदाताओं से निर्धारित दस्तावेज प्राप्त कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जायें। इसी प्रकार लॉजीकल त्रुटि में शामिल मतदाताओं के नाम, उम्र आदि की त्रुटियों को सुधारा जायें, इसके तहत 6 तरह की विसंगतियां है तथा वंशानुगत त्रुटियों में पिता-पुत्र की आयु में अधिक या कम अंतर का होना शामिल है। इस प्रकार की त्रुटियों को मतदान केन्द्रों पर सुनवाई के माध्यम से सुधार किया जायें।

उल्लेखनीय है कि जिले में 64 एईआरओ नियुक्त किये गये है। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत त्रुटियों की सुनवाई के लिए 31 एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 33 एईआरओ सुनवाई के लिए नियुक्त किये गये है।

एईआरओ द्वारा आवंटित मतदान केन्द्रों के अंतर्गत लॉजीकल त्रुटि में आये मतदाताओं की सुनवाई कर निराकरण किया जा रहा है।

नो मैपिंग वाले मतदाताओं के लिए 13 दस्तावेज निर्धारित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा ने कहा कि नो मैपिंग में शामिल ऐसे मतदाता जिनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नही है, उनसे आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज प्राप्त कर उन्हें पात्रता की श्रेणी में लाया जायें। आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजो में निम्न दस्तावेज शामिल है।

ड्राइविंग लाईसेंस कैम्प में बनाए 48 लाईसेंस

श्योपुर, 3 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग द्वारा संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर में छात्राओं के निशुल्क लाइसेंस बनाने के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कैम्प का आयोजन किया गया।

जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना कुशवाह ने बताया कि कैम्प के दौरान 48 छात्राओं के लर्निंग लाईसेंस बनाये गये। इस अवसर पर छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चालन के दौरान हेलमेट लगाने आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉ श्याम लाल बामनिया, डॉ परवीन वर्मा, डॉ मंजू शाक्य, सुश्री वेदांकी खंडेलवाल, डॉ महेश कुमार कुशवाह, खेमराज आर्य, दीपक शर्मा, डॉ मनीष सैनी, डॉ राहुल कुशवाह, डॉ कल्याण कुशवाह, खेल अधिकारी हीरा सिंह, आरपी बाजूला तथा परिवहन विभाग से संतोष माहौर, बनवारी लाल शर्मा, शाहनवाज आदि मौजूद रहे।

संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत शिविरों का आयोजन

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 3 फरवरी। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संकल्प से समाधान अभियान गत 12 जनवरी से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत भारत सरकार एवं राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जायेगा।

4 फरवरी को 13 स्थानों पर लगेंगे पंचायत स्तरीय शिविर

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन तथा सीईओ जिला पंचायत सुश्री सौम्या आनंद के निर्देशन में श्योपुर जिले की सभी 236 ग्राम पंचायतों में अभियान के तहत शिविरों का आयोजन जारी है। इसके अलावा 19 कलस्टर स्तर के शिविर भी आयोजित किये जायेंगे, इसके उपरांत तीनों विकासखण्ड मुख्यालयों पर विकासखण्ड स्तरीय शिविरों का आयोजन होगा।

संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों के माध्यम से हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार लाभ प्रदान करने हेतु डोर टू डोर आवेदन प्राप्त किये जायेगे तथा शिविर भी लगाये जायेंगे। पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों का निराकरण संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा। इसके बाद कलस्टर स्तर पर आयोजित शिविरों में निराकरण से शेष आवेदनों तथा नवीन आवेदनों का निराकरण करने की कार्यवाही की जायेगी। कलस्टर लेबिल पर निराकरण से शेष आवेदन विकासखण्ड स्तर पर आयोजित शिविर में निराकरण के लिए रखे जायेंगे, इसके साथ ही नवीन आवेदन भी प्राप्त किये जायेगे, जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ का वितरण किया जायेगा।

04 फरवरी को 13 स्थानों पर लगेगे पंचायत स्तरीय शिविर : संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन जारी है, इसी क्रम में 04 फरवरी को श्योपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत दुबडी, राधापुरा, नारायणपुरा, ढोटी, बर्धाबुजुर्ग, नगदी एवं लाडपुरा में शिविर आयोजित किये जायेगे। इसी प्रकार 04 फरवरी को विजयपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत खुरजान, कींजरी एवं सुठारा में शिविर का आयोजन होगा।

कराहल विकासखण्ड अंतर्गत 04 फरवरी को ग्राम पंचायत मोरावन, मालीपुरा एवं सुबकरा में शिविर लगाये जायेगे। यह शिविर प्रात: 10 बजे से सांय 05 बजे तक आयोजित होगे, शिविरों के लिए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है तथा ग्राम स्तरीय दल में पटवारी, पंचायत सचिव, जीआरएस, आरएईओ, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि मैदानी अमले को शामिल किया गया है।

जनपद पंचायत श्योपुर में संपूर्णता अभियान 2 .0 का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 3 फरवरी। भारत सरकार के अंतर्गत नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के क्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में च्संपूर्णता अभियान 2.0ज्ज के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जनपद पंचायत सभागार श्योपुर में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया।

14 अप्रैल तक चलेगा अभियान

कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र जाट, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज तोमर, जिला योजना अधिकारी गिर्राज शर्मा एवं सीईओ जनपद एसएस भटनागर, आकांक्षी ब्लॉक फेलो सुश्री दीपांशी जादौन सहित समस्त संबंधित विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 का मुख्य उद्देश्य 28 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक की अवधि में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं कृषि से संबंधित 6 प्रमुख संकेतकों को शत-प्रतिशत संतृप्ति तक पहुँचाना है। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली के माध्यम से संपूर्णता अभियान 2.0 के घटको को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम एवं संपूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत निर्धारित 6 प्रमुख संकेतकों की जानकारी दी गई।

सीईओ जनपद एसएस भटनागर द्वारा सभी विभागीय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को आकांक्षी ब्लॉकों में महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतकों को पूर्ण रूप से संतृप्त किये जाने के संबंध में कार्ययोजना साझा की गयी, साथ ही सम्बंधित विभागों द्वारा चयनित संकेतको के लक्ष्य प्राप्त हेतु प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महिला बाल विकास द्वारा पोषण प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर संपूर्णता अभियान के अंतर्गत निर्धारित सूचकांको को शत प्रतिशत पूर्ण करने एवं कराने में सहयोग के लिए संकल्प भी लिया गया।

एक नजर में

बातचीत करते समय मारपीट

श्योपुर, 3 फरवरी। थाना बड़ौदा मारपीट फरि. बिरजू उर्फ ब्रजमोहन पुत्र अमरलाल आदि. उम्र 35 साल नि. बांरा भैरू ने रिपोर्ट की कि दि. 01.02.26 के 14.00 बजे स्थान रफीक मुस. के घर के सामने आरोपीगण, रफिक मुस., गब्बर मुस. नि. गण. बांरा भैरू बड़ौदा फरि. अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था तभी आरोपीगणों ने फरि को जातिसूचक गालियां दी एवं मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। दि. 01.02.26 के 01.02.26 के 16.36 बजे अप. क्र. 23/26 धारा 296 (ए), 115 (2), 351 (2),3(5) बीएनएस 3 (1) द, 3 (1) ध, 3 (2) व्हीए एससी/एसटी एक्ट कायम कर लिया है।

नौकरी का झांसा देकर ठगी

श्योपुर। बरगवां ठगी की घटना फरि अतरी जहार सिंह आदि उम्र 30 साल नि. मदनपुरा थाना बरगवां ने रिपोर्ट की कि दि. 28.02.26 के 11.00 से 16.10.25 के 14.02 बजे स्थान फरि के घर मदनपुरा पर आरोपी दुर्गाशंकर खरे नि. श्यो. आरोपी ने फरि को नौकरी का झांसा देकर 1,07,135 रू. की ठगी कर ली। दि. 01.02.26 के 19.37 बजे अप. क्र. 06/26 धारा 318,3 (4) बीएनएस कायम कर लिया है।

07 ली. कच्ची शराब जप्त

श्योपुर। थाना देहात 07 ली. कच्ची शराब पकड़ी- आरोपी रामभरत उर्फ फिरोज पुत्र किशन आदि. उम्र 28 साल नि. मायापुरा को दि. 01.02.26 के 14.00 बजे स्थान मायापुर मोड़ के पास ने कब्जे से अवैध 07 ली. कच्ची शराब कीमती 700/- रू. की जप्त की। दि. 01.02.26 के 16.11 बजे अप. क्र. 25/26 धारा 34 (1) आब. एक्ट कायम कर लिया है।

पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की

श्योपुर। थाना कोतवाली मारपीट फरि. शाफीक उर्फ टौना पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 40 साल नि. अग्रसेन कॉलोनी शिवपुरी रोड़ श्यो. ने रिपोर्ट की कि दि. 01.02.26 के 22.00 बजे स्थान सलापुरा नहर के पास आरोपी रवी शिवहरे नि. पुरानी अनाज मण्डी को पीछे श्यो. ने फरि. को पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी। दि. 01.02.26 के 23.08 बजे अप. क्र. 30/26 धारा 296(बी),115(2),351(3) बीएनएस कायम कर लिया है।

दुकान के विवाद को लेकर मारपीट की

श्योपुर। थाना कोतवाली मारपीट फरि. मोहम्मद इब्राहिम पुत्र चांद मोहम्मद उम्र 65 साल नि. छीपा गली श्योपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 02.02.26 के 10.30 बजे स्थान फरि. का घर छीपा गली पर आरोपीगण, ताज मोहम्मद, तूफान उर्फ आसिक, मेहताब, अरबाज नि. छीपा गली श्योपुर ने फरि को दुकान के विवाद को लेकर फरि एवं उसके लड़के इमरान की मारपीट की एवं पत्थर फेके जिससे उन्हे चोटे आई। दि. 02.02.26 के 11.51 बजे अप.क्र. 31/26 धारा 125,296 (बी), 351(3), 3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

अवैध शराब जप्त

श्योपुर। थाना आवदा अवैध शराब पकड़ी आरोपी गणेश पुत्र प्रीतम जाटव उम्र 33 साल नि. ग्राम बुखारी थाना आवदा को दि. 02.02.26 के 12.20 से 12.40 बजे स्थान कच्चे मसान पर धार घाट नदी के पास ग्राम बुखारी पर कब्जे से 07 ली. हा.भ. कच्ची शराब कीमती 700/-रु. के जप्त की। दि. 02.02.26 के 14.22 बजे अप.क्र. 10/26 धारा 34 आब. एक्ट कायम लिया है।

बटवारे को लेकर मारपीट

श्योपुर। थाना मानपुर मारपीट - फरिया. ममताबाई पत्नी रामसिंह वैरवा उम्र 38 साल नि. ग्राम कोठरा थाना मानपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 02.02.26 के 19.00 बजे स्थान फरि. के घर के सामने पर आरोपीगण, रणवीर पुत्र जगन्नाथ वैरवा, बबीता पत्नी रणवीर वैरवा नि. गण ग्राम कोठरा ने फरिया, को हिस्सा बटवारे को लेकर मारपीट कर गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी। दि. 02.02.26 के 21.22 बजे अप.क्र. 23/26 धारा 296 (ए), 115 (2),351(2),3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट

श्योपुर। थाना विजयपुर मारपीट फरि. अनिल पुत्र रमजी बघेल उम्र 27 साल

नि. बांगरौद थाना विजयपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 01.02.26 के 21.00 बजे स्थान फरि. के घर के बाहर पर आरोपीगण, विनोद बघेल, ऋषिकेश बघेल, आरती बघेल नि.गण बांगरौद ने फरि. व उसकी पत्नी को पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी। दि. 02.02.26 के 11.02 बजे अप.क्र. 41/26 धारा 296(ए),115(2),351(3),3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

श्योपुर, 3 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा शासकीय कार्यालयों में अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम एवं घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा जनहित एवं शासकीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी कार्यालयों में प्रभावी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किये है। जिले के समस्त शासकीय विभागों, कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने कार्यालय भवनों में आवश्यकतानुसार मानक अग्निशामक यंत्र स्थापित किए जाए। पूर्व से स्थापित अग्निशामक यंत्रों की कार्यशीलता की जाँच कराकर उन्हें अद्यतन स्थिति में रखा जाए। कार्यालय के कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्र के उपयोग एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु संक्षिप्त प्रशिक्षण, जानकारी प्रदान की जायें। विद्युत वायरिंग, शॉर्ट सर्किट एवं ज्वलनशील सामग्री के सुरक्षित भंडारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपरोक्त निर्देशों की पालना 15 दिवस में पूर्ण की जाकर अग्निशामक यंत्र स्थापित किये जाने का प्रमाणीकरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये है।

निराश्रित बच्चों के मामले में गार्जियन नियुक्त करने के निर्देश

द्वारिका बाई को मिलेगी दो लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि, बैंक मैनेजर को बुलाकर दिये खाता खोलने के निर्देश, जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 3 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा द्वारा जनसुनवाई करते हुए कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शासन की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को तत्काल लाभान्वित करने की कार्यवाही की गई, जहां निराश्रित बच्चों के मामले में गार्जियन नियुक्त करने के निर्देश दिये गये, वही स्पॉन्सरशिप योजना का खाता नही खोलने की शिकायत पर बैंक मैनेजर को जनसुनवाई में तलब कर तत्काल खाता खोलने की कार्यवाही कराई गई।

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कलेक्टर संजय जैन एवं विजय शाक्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई के दौरान कुल 150 आवेदन प्राप्त हुए।

निराश्रित बच्चों के मामले में गार्जियन नियुक्त करने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा द्वारा भीकापुर निवासी निराश्रित दो बच्चों के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग को गार्जियन नियुक्त करने के निर्देश दिये गये। स्पॉन्सरशिप योजना के लाभार्थी बच्चें अपनी दादी के साथ जनसुनवाई में पहुंचे थे। उन्होने बताया कि योजना में राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन गार्जियन नियुक्त नही होने से लाभ नही मिल पा रहा है। इस मामले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत प्रावधान के तहत गार्जियन नियुक्त कराने के निर्देश दिये गये। पिता स्व. श्री ईश्वर आदिवासी एवं मॉ स्व. श्रीमती हसीना आदिवासी दोनो की मृत्यु के उपरांत बच्चे वर्तमान में दादी के पास रहते है।

द्वारिका बाई को मिलेगी दो लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा वार्ड क्रमांक 15 रेगर मोहल्ला श्योपुर निवासी श्रीमती द्वारिका बाई को उनके आवेदन परीक्षण उपरांत अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत पति की सामान्य मृत्यु पर दो लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत होकर ईपीओ जारी हो चुका है तथा शीघ्र ही बैंक खाते के माध्यम से राशि प्राप्त होगी। श्रीमती द्वारिका बाई द्वारा अपने पति स्व. श्री नाथूलाल रेगर की मृत्यु पर दो लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

इसी प्रकार पोहरी निवासी श्रीमती मीनाक्षी को अवगत कराया गया कि संबल योजना के तहत 4 लाख रूपये की राशि स्वीकृत है, नॉमिनी चेंज होने की प्रक्रिया संचालित है। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत खाते में राशि आयेगी। उल्लेखनीय है कि पोहरी निवासी श्रीमती मीनाक्षी का विवाह श्योपुर हुआ था, पति की सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर संबल योजना के तहत 4 लाख रूपये की राशि मंजूर हुई है।

बैंक मैनेजर को बुलाकर दिए खाता खोलने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा द्वारा जनसुनवाई के दौरान यूको बैंक शाखा श्योपुर के मैनेजर को मौके पर बुलाकर निर्देश दिये कि स्पॉन्सरशिप योजना के लाभार्थी बच्चों के संयुक्त बैंक खाते तत्काल खोले जायें। इस मामले में ग्राम भसुंदर निवासी महिला श्रीमती कैलाशी बाई ने आवेदन प्रस्तुत किया था कि स्पॉन्सरशिप योजना में प्रकरण स्वीकृत होने के बाद भी बैंक में खाता नही खुलने से लाभ नही मिल पा रहा है। इस पर तत्काल खाता खुलवाने की कार्यवाही की गई।

एकात्म मानव दर्शन अपनाकर ही फलीभूत होगा ग्राम स्वराज

ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण और उसकी परिकल्पना के पीछे यही विचार हुआ था कि हम स्थानीय स्वशासन प्रणाली को लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित करा सकेंगे, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामाजिक न्याय दिला सकेंगे, शासन को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाकर स्थानीय मुद्दों का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर हो सकेगा इस प्रकार हम ग्रामों को अधिक खुशहाली और उन्नति का केंद्र बना सकेंगे। आज पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुए तीन दशक से ऊपर हो गया इसके साथ ही केंद्र और राज्य की आवास, सड़क, आजीविका, स्वच्छता, सुरक्षा स्वरोजगार, जल प्रबंधन, आय निर्माण, ई शासन, पंचायत प्रगति सूचकांक आदि को लेकर कई बड़े-बड़े प्रयोग सामने आए उसके साथ ही कई नवाचारों की श्रृंखला भी जुड़ती रही किंतु जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना का हमारा स्वप्न था उससे हम आज भी बहुत दूरी पर खड़े हैं। कई संसाधन और सुख सुविधाएं जुटा लेने पर भी ग्राम सभाएं किसी अधूरेपन का शिकार हैं।

ग्राम पंचायत में बैठकों का क्रम, सहभागिता, कराधान कार्यों में सुधार, तकनीकीकरण, पंचायत निधि की जानकारियों में पारदर्शिता आदि को लेकर भी कई स्थानों पर सुखद परिणाम देखने को मिले। उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों व जन प्रतिनिधियों को बड़े स्तर पर पुरस्कृत करने की पहल भी पंचायती राज मंत्रालय (केंद्र और राज्य) की ओर से रही है। पंचायतों के सर्वांगीण विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2024-25 बजट में 27 हजार 87 करोड़ की राशि का प्रावधान हुआ। अभी पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट ने 10000 करोड़ की ग्राम सड़कों की घोषणा की है। अधिकतर स्थानों पर राशि स्वीकृत भी हो रही है और त्वरित ढंग से जिलों को आवंटित भी हो रही है। ऐसी योजनाओं हेतु राशि आने की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। इसके बाद भी पंचायत अपने लक्ष्य से पीछे छूट रही है। वास्तव में एकात्म मानवदर्शन वह परिकल्पना है आंकड़े के हिसाब को वरीयता न देकर इन छूटे हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ग्राम पंचायतें वह क्यों नहीं दे पा रही जिसका विचार एक ग्राम पंचायत को लेकर अपेक्षित था। यह छूटा हुआ तत्व सामंजस्य और संपूर्णता के विचार के अभाव का है। वास्तव में जिस दिशा की आवश्यकता इन ग्राम सभाओं को है उसके 'दिशा सूचक' के रूप में हमारी एकात्म दृष्टि ही सहारा बन सकती है।

एकात्म चिंतन बहुआयामी, सर्व समावेशी और स्वदेशी चिंतन है। यह विचार सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को संगठित करता है। हम धर्माधिष्ठित जीवन रचना के अनुरूप इस प्रकार से जिएं कि हमें संस्कृति, साहित्य, ईश्वर और कला का भी चिंतन करने को मिले। हम 24 घंटे भौतिकतावाद और पेट पालने की चिंता में न डूबे रहें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है 'धर्मो विरुद्धोभूतेषु कामोस्स्मिन भर्तषभ' अर्थात मैं काम हूं, काम की पूर्ति भी हो किंतु वह धर्म विरुद्ध न हो। इस प्रकार संगठित, समन्वयात्मक और एकात्मक मानववादी कल्पना दृष्टि अपनाकर परिवारों, ग्रामों, ग्राम सभाओं को उन्नत करने का विचार हम सभी के द्वारा किया जा सकता है। ऐसा ग्राम जीवन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप जीवनादर्श चुनते हुए गरिमा पूर्ण जीवन जी सके। ऐसा जीवन होगा तो ही कोई टकराव नहीं होगा। ऐसी जीवन पद्धति व उसकी स्वीकार्यता होगी तो हम ग्राम समस्याओं का निराकरण पंच परमेश्वर प्रणाली को साकार करके ही ग्राम स्तर पर कर सकते हैं। इस प्रकार न्यायालयों में पेंच फंसाकर महीनों सालों चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

ग्राम में क्रियान्वित होने वाली सभी शासकीय योजनाओं का जन जागृति से ही लाभ लिया जा सकता है। ग्रामजन जागरूक होंगे तो सरपंच ग्राम सचिव पंचायत प्रतिनिधि आदि की उपस्थिति में निराकरण होना कठिन बात नहीं। पूरे ग्राम को ही अपने परिवार का अंश मानेंगे यही तो एकात्म दृष्टि है। हमारी ग्राम सभाएं, ग्राम सभाओं के सदस्य, जनप्रतिनिधि, ग्राम सभाओं के प्रशासनिक व्यवस्थापक भी इस एकात्म चिंतन को धारण करके चलेंगे तब ही आगे बढ़ा जा सकेगा। एक समय था जब हम संसाधनों की उपलब्धता और उसकी चिंता को लेकर ही चर्चाएं समाप्त कर लेते थे किंतु आज दो कदम आगे बढ़कर 'संसाधनों की उपयोगिता' पर विचार करना पड़ेगा। संसाधनों की उपलब्धता तो है किंतु इनका उपयोग पारदर्शी, आवश्यकतानुरूप, ठीक समय पर और ठीक ढंग से कहां और किस प्रकार किया जा सकेगा यह विचार व प्रेरणा एकात्म दृष्टि ही प्रदान कर सकती है। 'हर काम के लिए हाथ' और 'हर हाथ को काम' का विचार हम कर लेंगे तो अपने ग्रामों की अपार वन संपदा औषधियां, खनिज, धातु, आदि का प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखकर उपयोग कर सकेंगे। जी राम जी ग्राम योजना पलायन को भी रोकती हैं और अपने ही स्थान पर रोजगार की गारंटी देती है किंतु इस योजना का सामंजस्य अपनी स्वदेशी जीवन शैली को बनाए रखकर किस प्रकार हम अपने जलाशय, कुटीर उद्योग, उपवन, कृषि संपदा का भी विचार कर सकेंगे यह देखना पड़ेगा। हमारे ग्राम खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कच्चे माल के आधार स्तंभ बने रहें इस प्रकार की प्रेरणा ग्राम सभाओं और उनके सदस्यों एकात्म दृष्टि के प्रशिक्षण से देनी पड़ेगी। एकात्म दृष्टि अपनाकर हम छोटी-छोटी समस्याओं जैसे फिजूल खर्ची, निर्णय में विलंब, उदासीनता, वित्तीय प्रबंधन में कमी, आमदनी का अभाव, अधिकारों के प्रति जागरूकता आदि को समाधान की दिशा में ले जा सकते हैं।

जब अधिकांश समस्याओं को सामूहिक निर्णय पद्धति के साथ छोटी समस्या मानकर निराकरण करने की सद्बुद्धि धारण कर लेंगे तो बड़ी समस्या भी छोटी दिखने लगेगी। वास्तव में यही एकात्म दृष्टि है और यही एकात्मता का भाव है जो हमारे परिवारों और ग्रामों को ग्राम सभाओं के माध्यम से सुदृढ़ करना चाहिए।

(डॉ. हरिशंकर सिंह कंसाना, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के जानकार और राजनीति विज्ञान के सहा. प्रोफेसर हैं)